विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस तथा खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 17 प्रस्तर शामिल हैं, जिसमें एक प्रस्तर **"माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी"** को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 195.88 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है। इनमें से सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹ 140.34 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

अध्याय–I: सामान्य

वर्ष 2017–18 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,78,775.45 करोड़ थी जिसमें से राज्य की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,17,187.86 करोड़ (42.04 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,61,587.59 करोड़ (57.96 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों का राज्याँश ₹ 1,20,939.14 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 43.38 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 40,648.45 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 14.58 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक राज्य के अपने कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी। उस समय अनुरोध के बावजूद वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे इस व्यापक भिन्नता के कारणों का आंकलन नहीं हो सका।

(प्रस्तर 1.2)

31 मार्च 2018 को बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, राज्य आबकारी, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियां राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया ₹ 22,564.66 करोड़ था, जिसमें से ₹ 10,581.96 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करना चाहिए। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 1.3)

अध्याय–II: राज्य आबकारी

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 28.35 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 30.50 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 58.85 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

विभाग को मदिरा दुकान का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रणाली का तंत्र तैयार करना चाहिए, जब कोई उच्चतम बोलीदाता आवंटन शर्तों का पालन करने में विफल रहता है।

(प्रस्तर 2.3)

बोतल बंद बीयर की फुटकर बिक्री के लिये 119 अनुज्ञापियों के सम्बन्ध में बीयर बार अनुज्ञापन जारी न किये जाने से ₹ 2.36 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.4)

आबकारी नीति में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मॉडल शॉप्स का अनुज्ञापन शुल्क नियत न किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.36 करोड़ का कम आरोपण।

(प्रस्तर 2.5)

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार, आदि पर कर

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 148.62 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर, ऐसी वस्तुओं पर लागू दरों को अनुसूची के अनुसार सत्यापित किये बिना, व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों में उल्लिखित कर की दर को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 12.36 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को उन मामलों में जहाँ कर की गलत दर लगाये जाने के लिए टंकण की त्रुटि को कारण कहा गया है, सर्तकता के दृष्टिकोण से जाँच शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 55.97 करोड़ के स्टाक ट्रांसफर पर ₹ 2.80 करोड़ की अनियमित छूट अनुमन्य की जबकि व्यापारी प्रेषण के प्रमाण के साथ वांछित घोषणा–पत्र फार्म 'एफ' दाखिल करने में विफल रहा था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को चाहिये कि वह ऐसे समस्त मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करे जिसमें कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार की छूटें अनुमन्य की गई हों।

(प्रस्तर 3.4.1)

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरूद्ध कर की रियायती दर से ₹ 6.81 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं था। कर निर्धारण के समय इस तथ्य की संवीक्षा न किये जाने से ₹ 1.05 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण आदेशों को पारित करते समय पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपयोग प्रमाण पत्रों, जहाँ कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

(प्रस्तर 3.4.2)

व्यापारियों ने ₹ 64.88 लाख की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण दावा किया था जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.01 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित अनुत्क्रमित रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा रहा है और कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.5.1)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के उन वस्तुओं के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 1.40 करोड़ की ब्याज सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट जिनकी बिक्री व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य से कम मूल्य पर की गयी थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को चाहिये कि व्यापारियों द्वारा दावाकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करें।

(प्रस्तर 3.5.2)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के उन वस्तुओ के सम्बन्ध में दावा की गई ₹ 2.20 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्याज सहित जो व्यापारियों द्वारा किये गये दावे से कम दरों पर करयोग्य थी, को उत्क्रमित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे निर्धारित दरों पर ही किये जा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के समस्त दावों की आवधिक एवं यादृच्छिक समीक्षा करे।

(प्रस्तर 3.5.3)

विभाग द्वारा किये गये प्रति सत्यापन पर, व्यापारियों द्वारा दावा की गयी ₹ 1.94 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि मिथ्या पायी गयी थी। यद्यपि, इसको कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उत्क्रमित किया गया था, दोषियों के विरूद्ध ₹ 9.71 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को ऐसे मामलों की ध्यानपूर्वक जाँच एवं सत्यापन करना चाहिए जिसमें व्यापारी द्वारा मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.5.4)

व्यापारियों ने ₹ 5.56 करोड़ के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किया, जिस पर ब्याज प्रभार्य था। तथापि, कर निर्धारण करते समय इसे प्रभारित नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ की धनराशि का ब्याज प्रभारित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि जहाँ व्यापारियों ने देय कर को विलम्ब से जमा किया है, वहाँ ब्याज की धनराशि की गणना वाणिज्य कर विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाये गये टर्नओवर की धनराशि ₹ 20.44 करोड़ पर ₹ 3.66 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को ऐसे सभी मामले की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा टर्नओवर के छिपाये जाने का पता लगता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित अर्थदण्ड लगाया जाये।

(प्रस्तर 3.7.1)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय ₹ 15.31 करोड़ की धनराशि के स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 3.06 करोड़ की धनराशि का अर्थदण्ड और ₹ 55.30 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को उन मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकृत कर को देय ब्याज के बिना जमा किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.7.2)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गये कर (टी0डी0एस0) ₹ 13.40 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 26.80 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि के साथ ₹ 14.26 लाख ब्याज आरोपित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा टी0डी0एस0 को समय से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(प्रस्तर 3.7.3)

व्यापारियों ने अपने कर दायित्व से ₹ 4.61 करोड़ का कर अधिक एकत्र किया था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों द्वारा गलत तरीके से वसूल की गयी धनराशि को जब्त नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि वाणिज्य कर विभाग को उन प्रकरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए जहाँ व्यापारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य व्यापारियों से धनराशि कर के रूप में गलत तरीके से वसूल किया गया है।

(प्रस्तर 3.8)

माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी।

राज्य वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा को न तो माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की ऐक्सेस दी व न ही माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) डेटा से संबन्धित अपने अधिकार का कोई डेटा डम्प सतत् प्रयास के बावजूद उपलब्ध कराया। विभाग ने बताया कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ डेटा शेयरिंग प्रोटोकाल का प्रकरण माल एवं सेवा कर परिषद को संदर्भित कर दिया गया है। जीएसटीएन एवं डेटा डम्प को ऐक्सेस करने के लिये मामले का निर्णय होने तक, प्रतीक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण होगा। चूंकि माल और सेवा कर का डेटा साझा नहीं किया गया, हम लेखापरीक्षा नहीं कर सके एवं इसलिए **'माल और सेवा कर में संक्रमण की तैयारी'** की लेखापरीक्षा का निष्कर्ष मुख्यतः लेखापरीक्षा द्वारा किये गये प्रश्नों एवं माँग पत्रों पर उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं पर, परन्तु बिना किसी वास्तविक डाटाबेस या दस्तावेजों के स्वतंत्र सत्यापन के, आधारित है।

(प्रस्तर 3.9.4 एवं 3.9.5)

अध्याय–IV: अन्य कर प्राप्तियाँ

परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभार में निरूद्ध 913 माल वाहनों पर कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति ₹ 2.16 करोड़ भी आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि परिवहन विभाग उप खनिजों को ढोने वाले अतिभार वाहनों को रोकने के लिए कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत परिभाषित सामान्य वाहक में पंजीकृत करें, ताकि ऐसे उप खनिजों के अतिभार परिवहन यानों को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग परिवहन विभाग के साथ परामर्श कर परिवहन विभाग द्वारा एम0एम0–11 के आधार पर सड़क पर संचालित अतिभार वाहनों को पकड़ने के लिए एक ऑन–लाइन पद्धति विकसित करे।

(प्रस्तर 4.3)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 393 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 2.61 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.4)

5.09 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को कृषि दर पर ₹ 58.56 करोड़ में गलत ढंग से निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 256.09 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.42 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को *प्रेरणा* सॉफ्टवेयर की उपलब्ध विशेषताओं का उपयोग करते हुए, जहाँ पर एक ही आराजी से भूमि की बिक्री आवासीय दर से एक निश्चित अवधि में की गयी हो की अनिवार्य भौतिक सत्यापन उप निबन्धक अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कराने के बाद सम्पत्ति का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.8)

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

विभाग ने बिना वैध प्राधिकार के खनिजों के खनन के 334 मामलों में ₹ 26.27 करोड़ खनिज मूल्य के एवं उचित शास्ति सिविल कार्य के ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है, और ऐसे खनिजों के परिवहन के लिये वैध एम0एम0–11 प्रपत्र है।

(प्रस्तर 5.3)

पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित अनुमति से अधिक के उप खनिजों के उत्खनन पर दो पट्टाधारकों से अधिक उत्खनित खनिज मूल्य ₹ 1.66 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.4.1)

खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.35 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.4.2.1)

बिना खनन योजना के खनिजों के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.00 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.4.2.2)

बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित 36 ईंट भट्ठों से ईंट मिट्टी की ₹ 1.77 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि अवैध खनन रोकने के लिये ईंट की मिट्टी सहित खनिजों का उत्खनन बिना अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी के न किया जाये।

(प्रस्तर 5.4.3)

ईंट भट्ठा स्वामियों से 660 मामलों में रॉयल्टी ₹ 6.94 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.14 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी एक मुश्त समाधान योजना में विनिर्दिष्ट थे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य में सभी ईंट भट्ठा स्वामी दिये गये भट्ठा वर्ष में लागू एक मुश्त समाधान योजना के प्रावधानों का पालन करें। दोषी ईंट भट्ठा स्वामियों से बकाया रॉयल्टी वसूल किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

(प्रस्तर 5.5)

19 पट्टाधारकों ने पट्टा अवधि के लिये वसूलनीय अपरिहार्य भाटक ₹ 3.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.85 करोड़ जमा किया। विभाग ने कम जमा अपरिहार्य भाटक ₹ 2.09 करोड़ को वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया।

(प्रस्तर 5.6)

अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के है जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते है, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किए गए हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।